संख्या– 162 / पॉच–1–2014–1(आर.एस.बी.वाई.) / 2013

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–1 लखनऊ: दिनांक 05, मार्च 2014

विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

देश के कुल श्रम बल का 93 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का है। इन्ही असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारम्भ वर्ष 01 अप्रैल, 2008 को किया गया था। उक्त योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध बी0पी0एल0 परिवारों को ही लाभ प्रदान किया जा रहा था।

2– असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिक (महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिक, रिक्शा चालक, स्वच्छकार, शहरी क्षेत्र के आवासीय बी0पी0एल0 परिवार एवं शहरी क्षेत्र के अन्त्योदय राशन कार्ड धारक) उक्त योजना के लाभ से वंचित रह जाते थे।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त असंगठित क्षेत्र के निम्न श्रेणी के कार्मिकों को भी उक्त योजना का लाभ प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) मनरेगा श्रमिक, जिन्होंने योजनान्तर्गत पिछले वित्तीय वर्ष में 15 दिन या उससे अधिक कार्य किया हो।

(2) रिक्शा चालक के रूप में ऐसे पंजीकृत रिक्शा चालक जिन्हें जनगणना वर्ष 2011 में सम्मिलित किया गया हों एवं वह स्वयं अथवा किराये पर ली गयी रिक्शा चलाते हो।

(3) स्वच्छकार व ऐसे व्यक्ति जो मैनुअल स्कवैन्जिंग के अतिरिक्त स्वच्छकार का कार्य करता हो। इनमें सीवेज श्रमिक एवं नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारी भी सम्मिलित होगें।

(4) शहरी क्षेत्र के आवासित बी0पी0एल0 परिवार जिनके पास बी0पी0एल0 राशनकार्ड हो।

(5) शहरी क्षेत्र के अन्त्योदय राशन कार्ड धारक।

4— यदि कोई लाभार्थी उपर्युक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित श्रेणी में एक से अधिक श्रेणी के अन्तर्गत पात्र है, तो उसे किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत ही पात्रता का लाभ अनुमन्य होगा। उक्त प्रस्तर–2 की श्रेणी के लाभार्थियों हेतु देय प्रीमियम का व्यय–भार केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जायेगा।

5— इस योजना का लाभ उपुर्यक्त श्रेणी के लाभार्थियों के साथ समान्य वर्ग के अन्य व्यक्तियों को भी इस शर्त के साथ अनुमन्य हो सकेगा कि उक्त सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड की धनराशि रू0 60/– प्रति कार्ड व योजनान्तर्गत देय वार्षिक प्रीमियम की पूर्ण धनराशि का भुगतान स्वयं करना होगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों हेतु योजना की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

6— योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो का नियमित आडिट व मूल्यांकन भी कराया जायेगा। उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को उक्त योजना का लाभ प्रदान कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

/

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 162 (1)/5–1–2014–1(आर.एस.बी.वाई.)/13, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, वित्त/श्रम/ग्राम्य विकास/नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, नवचेतना भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
उप सचिव।